

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल.

क्रमांक / डी-17-16 / 2018 / 14-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2019

**समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश ।**

विषय:- “मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना” के संबंध में जिलों से प्राप्त प्रश्नों (queries) पर Frequently Asked Questions (FAQ) के समाधान विषयक।

संदर्भ:- विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07 जनवरी, 2019 एवं 08 जनवरी 2019

—00—

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के संबंध में जिलों से प्राप्त प्रश्नों के आधार पर Frequently Asked Questions (FAQ) के समाधान अनुसार हैं :—

क्र.	प्रश्न	समाधान
1.	ऋण लिया हो, किन्तु दिनांक 31 मार्च, 2018 से पहले वापिस जमा कर दिया हो, इस प्रकार उनका Regular outstanding loan 31 मार्च, 2018 की स्थिति में नहीं दिखेगा तब क्या उन्हें पात्रता होगी ?	31.मार्च, 2018 से पूर्व लौटाए गए फसल ऋण पर योजना में लाभ प्राप्त नहीं होगा।
2.	यदि कुल ऋण 2.00 लाख से अधिक है तो क्या लाभ 2.00 लाख तक की सीमा में मिलेगा अथवा लाभ के लिए अपात्र होंगे ?	योजना के अन्य समस्त मापदण्ड एवं पात्रता शर्तों की पूर्ति करने पर रूपये 2.00 लाख (रूपये दो लाख) की सीमा तक लाभ प्रदान किया जावेगा।
3.	ऐसे कृषक जिनकी कर्ज लेने के पश्चात मृत्यु हो चुकी है, उन्हें भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी ?	ऐसे किसान के वारिसों को गुलाबी आवेदन पत्र भरना होगा। वारिसों को संयुक्त रूप से योजना का लाभ मिलेगा।
4.	दिनांक 31 मार्च से 12 दिसम्बर तक यदि पूर्ण ऋण चुकाया जा चुका है तो क्या कोई भुगतान किया जावेगा ? यदि आंशिक ऋण चुकाया गया है तो क्या बची हुई आउटस्टेंडिंग के बराबर राशि दी जाएगी अथवा पूर्ण ऋण की राशि दी जायेगी।	दिनांक 31 मार्च, 2018 को शेष राशि के आधार पर पात्रता अनुसार योजना का लाभ मिलेगा।
5.	किसी हितग्राही ने कृषि ऋण ले रखा हो, किन्तु दिनांक 31.03.2018 तक जमा नहीं कराया हो, ऐसी स्थिति में लंबे समय से जमा नहीं कराने के कारण दिनांक 01.04.2018 के बाद बैंक द्वारा अगर राइट ऑफ कर के खाता बंद कर दिया हो, क्या उनको योजना की पात्रता होगी ?	भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के NPA तथा नाबार्ड के कालातीत की परिभाषा ही मान्य होगी। योजना में NPA तथा कालातीत लोन के विषय में प्रावधान सुस्पष्ट हैं।
6.	KCC अकाउंट को आधार से लिंक करने के बाद यदि किसान अन्य कोई बचत खाता खोलकर आधार से लिंक करवा लेता है तो ऋण की राशि दूसरे खाते में चली जायेगी।	योजना का लाभ लेने हेतु बैंक के फसल ऋण खाते को आधार लिंक किया जाना है। योजना अंतर्गत निर्गमित राशि ऋण खाते में ही जमा होगी।

क्र.	प्रश्न	समाधान
7.	फसल ऋण माफी योजना में संयुक्त ऋण खाते हैं तो सभी खातेदारों के आधार कार्ड नम्बर लिए जाना है या नहीं अथवा संयुक्त खाते में प्रथम खातेदार के ही आधार कार्ड से ही ऋण माफी हेतु पात्र होगा ?	फसल ऋण जिस संयुक्त खाते के किसान द्वारा लिया गया है उसी के आधार कार्ड सीडिंग की आवश्यकता होगी। यदि संयुक्त ऋणी है तो सभी के आधार संख्या की सीडिंग अनिवार्य होगी।
8.	संयुक्त खाताधारक की स्थिति में ऋण माफ का मापदण्ड क्या होगा ?	फसल ऋण खाता जिन किसानों के संयुक्त नाम पर होगा, उन्हीं को आवेदन करने की तथा उक्त फसल ऋण खाते में योजना प्रावधान अनुसार लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। एक ऋण खाते में एक से अधिक संयुक्त ऋणी होने पर योजना की पात्रता अनुसार अधिकतम रूपये 2.00 लाख का लाभ ही प्राप्त हो सकेगा।
9.	31 मार्च, 2018 की स्थिति में कृषक द्वारा लिया गया मूलधन को आधार माना जावेगा अथवा मूलधन ब्याज सहित को आधार मानकर गणना की जावेगी।	योजनांतर्गत 31 मार्च 2018 की स्थिति में मूलधन एवं उक्त तिथि के ब्याज की गणना कर जो कुल बकाया राशि है उसे ही आधार बनाया जावेगा।
10.	एक कृषक का एक से अधिक राष्ट्रीयकृत बैंकों में योजनानुसार पात्र ऋण दिनांक 31 मार्च, 2018 पर बकाया है तो ऋण माफी प्राथमिकता क्रम क्या होगा ?	सहकारिता एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में यदि बकाया नहीं है तो राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्राथमिकता में सर्वप्रथम सबसे कम राशि के बकाया ऋण खाते में लाभ प्रदान किए जावेंगे। तत्पश्चात इससे अधिक शेष वाले खाते में योजना में निर्धारित राशि सीमा तक का लाभ प्राप्त होगा।
11.	दिनांक 31 मार्च, 2018 को राशि रूपये 2.00 लाख से अधिक का पात्र ऋण शेष है तो क्या शेष राशि कृषक द्वारा जमा कराने पर पात्रता होगी अथवा शेष राशि जमा कराने की बाध्यता नहीं होगी ?	योजनांतर्गत यह बाध्यता नहीं है।
12.	1 अप्रैल, 2018 से 12 दिसम्बर 2018 के मध्य बैंकों द्वारा वितरित अल्पकालीन ऋण माफ होगा अथवा नहीं।	जी नहीं।
13.	ऐसे कृषक जो किसी कारण से पलायन कर रहे हैं और उनका बैंक में अभी भी ऋण आउटस्टेंडिंग है।	योजना के अन्य समस्त प्रावधानों पर पात्र होने पर योजनान्तर्गत लाभ मिल सकेगा।
14.	कण्डिका 3.7.3 अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में संविदा कर्मचारी (उपयंत्री/रोजगार सहायका/डेटा एन्ट्री ऑपरेटर) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता तथा आउट सोर्स पर लगे कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के माने जायेंगे या अपात्र किए जायेंगे ?	संविदा कर्मी जो वर्ग 1, 2 या 3 के पदों के कार्यरत है, पात्र नहीं होंगे। ग्राम रोजगार सहायक, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता या आऊटसोर्स पर लगे कर्मचारी योजना के लिए शासकीय अथवा अद्व शासकीय निगम/मण्डल के कर्मचारी की अपात्रता में नहीं आएंगे।
15.	हरी एवं सफेद सूची का कोई मानक प्रारूप प्राप्त नहीं हुआ है।	सूची का प्रारूप पृथक से भेजा जाएगा।

क्र.	प्रश्न	समाधान
16.	माननीय जनप्रतिनिधियों के परिवार के सदस्यों (पत्नी, पुत्र एवं पुत्रवधु) को इस योजना की पात्रता होगी अथवा नहीं।	अपात्रता, फसल ऋण खाता जिस कृषक के नाम पर है उसके वर्तमान अथवा भूतपूर्व पदाधिकारी पर लागू होगी। परिवार के अन्य वयस्क सदस्य के द्वारा फसल ऋण लिया हो तथा अन्य समस्त पात्रता एवं मापदण्ड की पूर्ति होती हो तो योजना का लाभ भिल सकेगा।
17.	पूर्व में ऋण वितरण के समय कृषक के पास भूमि थी। वर्तमान में कृषक द्वारा भूमि का विक्रिय किया जा चुका है ऐसी दशा में प्रक्रिया / पात्रता क्या होगी ?	जिस व्यक्ति के नाम ऋण है, उसी व्यक्ति को पात्रतानुसार लाभ प्राप्त होगा।
18.	यदि उद्यानिकी का भी 31 मार्च, 2018 को कालातीत/ अकालातीत ऋण बकाया है तो क्या वह ऋण भी ऋण माफी की पात्रता में आवेगा ?	योजना केवल अल्पकालीन फसल ऋण के लिए है तथा सावधि ऋण (term loan) शामिल नहीं है।
19.	आधारकार्ड अथवा बैंक खाता नम्बर की कमी होने पर पूर्ति हेतु कब तक समय दिया जाना है ? क्या इसकी समय सीमा भी 5 फरवरी, तक होगी ?	जी हाँ।
20.	मदि प्रोविजनल क्लेम बैंक से मागा जा रहा है तो डी.बी.टी. किसान के खाते में क्यों की जाना है ?	योजना का लाभ DBT के माध्यम से किसान के ऋण खाते में ही पात्रतानुसार दिया जाएगा।
21.	कृषक द्वारा विभिन्न बैंकों से ऋण लेने की स्थिति में ऋण माफी की सीमा राशि रूपये 2.00 लाख तक कर्ज माफी उपरोक्तानुसार विभिन्न बैंकों हेतु संयुक्त रूप से लागू होगी ?	जी हाँ। योजना प्रावधान ऐसे समस्त ऋण खातों पर लागू होंगे।
22.	ऐसे कृषक जो "मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना" का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, क्या ऐसे कृषकों को भी इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा ? यदि हाँ तो ऐसे कृषकों को लाभान्वित किए जाने की प्रक्रिया क्या होगी ?	योजना की पात्रतानुसार लाभ प्राप्त हो सकेगा।
23.	यदि कृषक ऋण लेते समय किसी पद पर नहीं था, परन्तु बाद में वह पदाधिकारी नियुक्त हुआ तब क्या ऐसा भूतपूर्व या वर्तमान पदाधिकारी अपात्रता में आयेगा।	जी हाँ।
24.	किसान का ऋण खाता संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में होता है, जिस पर कोर बैंकिंग सिस्टम चालू नहीं है, ऐसी स्थिति में किसान के संबंधित बैंक खाते में DBT(RTGS /NEFT/NACH) के माध्यम से राशि जमा होने के पश्चात सोसायटी के ऋण खाते में राशि अंतरित की जाकर समायोजन प्रविष्टि से राशि प्रविष्ट की जा सकेगी।	जिला सहकारी बैंक द्वारा संबंधित कृषक के ऋण खाते में समायोजन किया जाएगा।
25. 21/11/19	पोर्टल में यह व्यवस्था हो कि कालातीत,एन.पी.ए., नियमित ऋण बकायादार श्रेणी के कृषकों की पृथक-पृथक सूची उपलब्ध हो जो पोर्टल से निकाली जा सके।	पोर्टल में यह व्यवस्था की गई है।
26.	पोर्टल में यह सुविधा हो कि एक से अधिक बैंक से लिया गया ऋण का बकाया हो तो एक ही सूची में सभी बैंक के बकाया दर्शित हो।	एक आधारकार्ड संख्या पर समस्त फसल ऋण खातों की एकजार्इ सूची पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

क्र.	प्रश्न	समाधान
27.	किसी कृषक की निरहता के संबंध में बैंक/ सहकारी संस्थाओं को ज्ञात है तो क्या वे ऐसे कृषकों को पात्रता सूची (हरी/सफेद सूची) में सम्मिलित करेंगे अथवा कृषक के स्वप्रमाणन के आधार पर निरहता होगी ?	स्वप्रमाणन के आधार पर निरहता तय होगी। तथापि बैंक शाखा/समिति की निरहता की आपत्ति किए जाने पर ऐसे प्रकरणों का निराकरण जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति में ही लिया जा सकेगा।
28.	पलि के नाम पर जमीन है और पति नोकरी में है, ऐसी स्थिति में वह पात्र होगा या अपात्र ?	अपात्रता/निरहता फसल ऋण खाताधारी के ऊपर लागू है। स्वयं की पात्रता होते हुए अपात्रता श्रेणी में अन्य रिश्तेदार होने मात्र से आवेदक अपात्र/निरहत नहीं होगा।
29.	राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंकों की आधार सीडेड एवं गैर आधार सीडेड ऋण खातों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर ग्राम पंचायतवार संधारित नहीं हैं तथा सूची समय सीमा के पूर्व कब तक प्राप्त की जा सकेगी।	पोर्टल पर ग्रामवार एवं बैंक शाखावार सूची उपलब्ध कराई जाएगी।
30.	ऑनलाइन आवेदन की प्रतिलिपि क्या मात्र उन्हीं किसानों को दिया जाना है जो स्वयं ऑनलाइन आवेदन करते हैं।	कृषक द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन किए जाने का योजना में प्रावधान नहीं हैं। चूंकि समस्त आवेदन पत्र ऑफलाइन प्राप्त किए जाने हैं। अतः सभी को दर्ज ऑनलाइन आवेदन की प्रति उपलब्ध कराई जाना होगी।
31.	आधारकार्ड अथवा बैंक खाता नंबर की कमी होने पर पूर्ति हेतु कब तक समय दिया जाना है ? क्या इसकी समय सीमा भी 05 फरवरी तक होगी ?	जी हैं।
32.	15 जनवरी से पूर्व ऋण खातों में आधार सीडिंग एवं ऋण खातेदारों की सूची तैयार करने की समस्त कार्यवाही संबंधित बैंक द्वारा की जायेगी, इसमें जिला प्रशासन की भूमिका क्या मात्र मॉनिटरिंग तक सीमित होगी ?	इस हेतु विस्तृत निर्देश दिनांक 08 जनवरी 2019 को जारी किए गए हैं।
33.	आधार अभिप्रमाणन का दायित्व बैंक का होगा। जिला प्रशासन अतिरिक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराकर इसकी गति बढ़ाने में असमर्थ रहेगा।	जी हैं।
34.	किसानों के खातों में ट्रायल के तौर पर एक रूपये का भुगतान किया जाये तथा जिन किसानों के ट्रायल भुगतान सफल होते हैं उनके खाते में ही योजना की राशि भुगतान की जाये और जिन किसानों के भुगतान फेल होते हैं उनके खाते सुधरवाने के पश्चात एक बार फिर से ट्रायल की जाये।	संभव नहीं है। IFSC Code तथा बैंक अकाउण्ट details उचित हैं तो ट्रांजेक्शन फेल नहीं होंगें।
35.	किसानों से हरे रंग, सफेद रंग एवं गुलाबी रंग के आवेदन भरवाकर लिये जाने हैं, इनके प्रारूपों की तत्काल ही आवश्यकता है।	ऐसा किया जाना उचित नहीं है। दिनांक 08.01.2019 को कलेक्टर्स को जारी पत्र के e-mail के साथ तीनों किस्म के आवेदनों की सॉफ्ट कॉपी दी गई है। दिनांक 13 जनवरी, 2019 तक समुचित मात्रा में हरे, सफेद एवं गुलाबी आवेदन पत्र जिलों को भेजे जा रहे हैं।

८११६
१११६

क्र.	प्रश्न	समाधान
36.	प्राप्त ऑफलाइन आवेदनों का डाटा इन्ट्री का कार्य पोर्टल पर दिनांक 26 जनवरी, 2019 से किए जाने का उल्लेख किया गया है जिसे 15 जनवरी से लगातार प्राप्त होने वाले आवेदनों का परिक्षणोंपरान्त ऑनलाइन इन्ट्री भी किया जाना प्रस्तावित है।	हैं। पोर्टल पर इन्ट्री 15 जनवरी से प्राप्त आवेदनों की प्रारम्भ की जा सकती है।
37.	गुलबी आवेदन के निराकरण के लिए क्या आधार रखे जायेंगे एवं क्या समय सीमा होगी ?	समय सीमा योजना में नियत नहीं हैं। तथापि शीघ्रातिशीघ्र सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा निराकरण कर पात्र पाए गए प्रकरणों को अनुशंसा सहित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति में 31 मार्च, 2019 तक भेज दिया जावे।
38.	कितनी राशि के समायोजन के ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र या किसान सम्मान पत्र जारी किए जाने हैं ? क्या यदि किसान को रूपये 100 / 200 की राशि समायोजन हुई है, उसको भी प्रमाण पत्र देने हैं।	ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र अथवा किसान सम्मान पत्र उन्हीं लाभान्वित किसानों के बनाए एवं वितरित किए जाने हैं, जिनके फसल ऋण खाते में रूपये 2,000/-या उससे अधिक राशि समायोजित की गई है।

कृपया उक्तानुसार समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(डॉ. महेश पाटेल)

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2019

पृ० क्रमांक / डी-17-16 / 2018 / 14-3

प्रतिलिपि –

- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
- अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल।
- अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन (समस्त)।
- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन (समस्त)
- सचिव, म.प्र.शासन, (समस्त)।
- विभागाध्यक्ष (समस्त) म.प्र.।
- मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, म.प्र., भोपाल।
- राज्य सूचना अधिकारी (SIO) NIC भोपाल।
- राज्य समन्वयक, एस.एल.बी.सी. राज्य समन्वयक बैंकर्स समिति, भोपाल को समस्त राज्यीयकृत बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रेषणार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंकित।
- संभागायुक्त, (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत- समस्त, को पालनार्थ।

(प्रमुख सचिव)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग